न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

———————————————

अपील संख्या :– 78/2002 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. श्योनारायण पुत्र रामस्वरूप जाति चमार निवासी चावण्डी तहसील बहरोड जिला अलवर

2. रामसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति चमार निवासी ग्राम चावण्डी तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:——— अप्रार्थी अपीलांट

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र रंगराव जाति अहीर
2. राकेश पुत्र हरिराम जाति अहीर
3. रामनिवास पुत्र मंगल जाति अहीर
4. अजीत पुत्र दलीप सिंह जाति अहीर
5. धीरज पुत्र दलीप सिंह जाति अहीर
6. नन्दरूप पुत्र काशीराम जाति अहीर
7. खेमचन्द पुत्र काशीराम जाति अहीर
8. मु0 सरबती बेवाह मंगल जाति अहीर
9. रंगराव पुत्र मंगल जाति अहीर
10. हरिराम पुत्र मंगल जाति अहीर
11. फूलचन्द पुत्र भोलू जाति अहीर
12. श्योनारायण पुत्र भोलू जाति अहीर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

सभी निवासीयान ग्राम चावण्डी तहसील बहरोड जिला अलवर

:——— असल रेस्पो0

13. चन्दगीराम पुत्र रामस्वरूप जाति चमार

14. कृष्ण पुत्र रामस्वरूप जाति चमार निवासीयान ग्राम चावण्डी तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:——— अप्रार्थी तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 26.4.2002

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री नवनीत तिवाडी

2. वकील रेस्पो0 :– श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय दिनांक

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा प्रकरण संख्या 288/87 में पारित आदेश दिनांक 26.4.2002 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 639 लगायत 646 वाके ग्राम चावण्डी तहसील बहरोड में स्थित है, जिनके रकबा कमशः 44 एयर, 42 एयर, 80 एयर, 63 एयर, 74 एयर, 62 एयर, 72 एयर, 49 एयर कायम किये गये हैं । इस प्रकार साबिक खसरा नम्बरान के अनुसार 20 बीघा 16 बिस्वा का 4 हेक्टेयर 86 एयर कायम किये गये हैं जो साबिक रकबा से 1 बीघा 7 बिस्वा कम दर्ज किया गया है । जबकि मौके पर प्रार्थीगण पूरे रकबे पर काबिज है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेतों के बीच एक डोल है,जिसको तोडकर वे अपनी आराजी में मिलाना चाहते हैं । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

50PAISE 50PAISE 50PAISE

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हम अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है । हमने कोई डोल तोडकर अपीलांट की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं किया है । तहत न्यायालय ने धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित नहीं किया है । हाल खसरा नम्बर 646 रकबा 49 एयर साबिक खसरा नम्बर 126/308 की बजाय साबिक खसरा नम्बर 178 से बना है । साबिक खसरा नम्बर 126 व 126/308 का रकबा पहले से ही 4.86 हे0 बनता है परन्तु यह रकबा गलती से बंदोबस्त सम्वत 2020 में बढा दिया गया था जो मौके के अनुसार बाद में बंदोबस्त मिं सही कर दिया गया । इस प्रकार बंदोबस्त में कोई गलती नहीं हुई । हम अपने रकबे पर जहां हमको आवंटन किया गया था, वहीं काबिज है । तहत न्यायालय ने केवल मात्र यह लिख दिया कि प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्तिजनक क्षति प्रार्थी के पक्ष में है । ये तीनों बिन्दू किस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में साबित है, इसका उल्लेख नहीं किया । इस प्रकार तहत न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील प्रार्थी असल रेस्पों0 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपील सारहीन है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु न्यायालय को प्रथमदृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्तिजनक क्षति के बिन्दुओं को देखना होता है । इन बिन्दुओं पर न्यायालय को स्पष्ट रूप से अपना विवेचन देना होता है । परन्तु मौजूदा प्रकरण में विद्वान तहत न्यायालय ने अपने आदेश में मात्र इतना सा लिख दिया कि प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्तिजनक क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है । ये बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में किस प्रकार साबित है, इसका कोई उल्लेख तहत न्यायालय ने नहीं किया है । इस प्रकार तहत न्यायालय का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.4.2002 निरस्त किया जाता है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner